

उपपण्डल शिक्षा अधिकारी, हिंसार

आदेश, क्र. सी-3-25/197-200

दिनांक हिंसार, 30.9.99

सुकर देवी पब्लिक स्कूल माडल टाऊन हिंसार

की 21.2.2002 के लिए दिनांक 1.4.99 से 31.3.2002 तक का वृत्तीय लेखांक की अस्थाई गणना वार के लिए निम्नलिखित विधायकों को ध्यान में रखाते हुए प्रदान की जाती है:-

- 1- विद्यालय प्रशासन समिति स्कूल को अपने ही माधानों में बलापूर्वक ब्योरे सरकार में किसी पद या ग्रांट की मांग नहीं करेंगी।
- 2- विद्यालय/विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा मरण मरण पर जारी की गई विद्यार्थियों एवं माता तथा एजुकेशन कोड की धारा 214, 215 एवं 222 के तहत माता विभाग एवं माता गणने को बाध्य होगा।
- 3- विद्यालय स्टाफ का वेतन मरण मरण पर संशोधन होने पर निम्नानुसार संशोधित राशि जिला शिक्षा अधिकारी, हिंसार के नाम से विद्यालय के स्टाफ के 6 मास के वेतन के बराबर राशि जमा करवाने को बाध्य होगा।
- 4- मातृ विपुक्तियां विभाग/सरकार द्वारा जारी निम्नानुसार की जाएं।
- 5- स्टाफ का जी.पी.एफ/सी.पी.एफ स्कीम सरकारी निम्नानुसार लागू की जाए।
- 6- छात्र/छात्राओं हेतु प्रार्थना तथा खेल एवं शौल के प्रदान का प्रबन्ध 22.2.2002-99 तक के अन्त तक विद्यालय प्रबन्धकों से करवाना होगा।
- 7- स्टाफ का वेतन बैंक बैंक द्वारा दिया जाए।
- 8- विद्यालय का आडिट विभागिय निम्नानुसार मरण मरण पर करवाया जाये। तथा फण्डों का देण भाग विभाग को मरण मरण पर जाया करवाया जाये।
- 9- यदि विद्यालय/विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अनुपालन नहीं करतातो गणना किसी भी मरण रद्द की जा सकती है।

उपपण्डल शिक्षा अधिकारी, हिंसार।

प्राचार्यक - मरण

वस्तु एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

- 1- निदेशक, मेडिकल शिक्षा हरियाणा वण्ड्रीगढ़
- 2- मणिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, गिवाणी
- 3- शिक्षा विभाग अधिकारी, हिंसार

उपपण्डल शिक्षा अधिकारी, सुकर देवी पब्लिक स्कूल माडल टाऊन हिंसार

विद्यालय प्रबन्धक

उपपण्डल शिक्षा अधिकारी, हिंसार। 30/9/99

Teacher Incharge I.D. DAV Public School HISAR

Principal I.D. D.A.V. Public School HISAR

Manager I.D. D.A.V. Public School HISAR